न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 36/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 रमेश 2 किशनाराम 3 ईमियों पिसरान मांगाराम वादी संख्या 01 से 03 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता आसीदेवी पत्नी मांगाराम 4 मोहनीदेवी पत्नी रूपाराम 5 सरूपों 6 सवाईराम पिसरान रूपाराम वादी संख्या 05 व 06 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता मोहनीदेवी पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी चवा तहसील व जिला बाडमेर।		1 मांगाराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी चवा तहसील व जिला बाडमेर 2 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा चवा 3 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री भोमाराम सियाग, वकील वादीगण।
2. श्री मेघाराम चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 24/9/19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी संख्या 01 से 03 प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा पुत्र–पुत्री है तथा वादी संख्या 04 से 06 प्रतिवादी संख्या 01 के मृतक पुत्र रूपाराम की पत्नी, पुत्री व पुत्र है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक ही पूर्वज पूराराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक व संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा चवा पटवार क्षैत्र चवा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 284 रकबा 32.09 बीघा, खसरा संख्या 297 रकबा 53.06 बीघा, खसरा संख्या 300 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 530 रकबा 19.12 बीघा, खसरा संख्या 1045/302 रकबा 12.12 बीघा व खसरा संख्या 1046/302 रकबा 36.14 बीघा कुल रकबा 155.05 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि पूराराम के देहान्त के पश्चात मांगाराम के नाम दर्ज हुई, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 मांगाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा, वादी संख्या 04 से 06 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का भी 1/5 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी मांगाराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी पूराराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा, वादी संख्या 04 से 06 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी के साथ सहखातेदार घोषित कर वादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा, वादी संख्या 04 से 06 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी मांगाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए वादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा व वादी संख्या 04 से 06 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 तथा जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2050 एवं सम्वत् 2071 से 2074 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। पत्रावल के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि आरएमजीबी बैंक शाखा चवा में रहन है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा चवा पटवार क्षैत्र चवा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 284 रकबा 32.09 बीघा, खसरा संख्या 297 रकबा 53.06 बीघा, खसरा संख्या 300 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 530 रकबा 19.12 बीघा, खसरा संख्या 1045/302 रकबा 12.12 बीघा व खसरा संख्या 1046/302 रकबा 36.14 बीघा कुल रकबा 155.05 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी मांगाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा, वादी संख्या 04 से 06 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का भी 1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। उक्त भूमि आरएमजीबी बैंक शाखा चवा में रहन है। अतः तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में अंकन रहन मुक्त होने पर करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 22/8/19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 रमेश 2 किशनाराम 3 ईमियों पिसरान मांगाराम वादी संख्या 01 से 03 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता आसीदेवी पत्नी मांगाराम 4 मोहनीदेवी पत्नी रूपाराम 5 सरूपों 6 सवाईराम पिसरान रूपाराम वादी संख्या 05 व 06 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता मोहनीदेवी पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी चवा तहसील व जिला बाडमेर।		1 मांगाराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी चवा तहसील व जिला बाडमेर 2 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा चवा 3 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 384/2018

निर्णय दिनांक :– 22.08.18

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.08.18 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा चवा पटवार क्षैत्र चवा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 284 रकबा 32.09 बीघा, खसरा संख्या 297 रकबा 53.06 बीघा, खसरा संख्या 300 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 530 रकबा 19.12 बीघा, खसरा संख्या 1045/302 रकबा 12.12 बीघा व खसरा संख्या 1046/302 रकबा 36.14 बीघा कुल रकबा 155.05 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी मांगाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा, वादी संख्या 04 से 06 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का भी 1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। उक्त भूमि आरएमजीबी बैंक शाखा चवा में रहन है। अतः तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में अंकन रहन मुक्त होने पर करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 22.08.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाड़मेर
सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner